राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1304/2013

आस्था गौड़ पुत्री श्री केएन शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गणपति कृपा, सोमनाथ नगर, दौसा, जिला दौसा, राजस्थान।

--याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान के माध्यम से।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान।
4. सुमन डांगी / श्री भागीरथ सिंह द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री मानवेन्द्र सिंह सुश्री सौम्या चौधरी।
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री राज सिंह भाटी, श्री ऋतु राज सिंह राठौड़, एएजी के लिए। श्री सी.आर.चौधरी श्री शैलेन्द्र कुमार.

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

13/01/2025

1. दिनांक 09.04.2007 के विज्ञापन (अनुलग्नक 1) के अनुसरण में चयन प्रक्रिया में आंशिक रूप से सफल रहने के उपरांत, याचिकाकर्ता (प्लाटून कमांडर के रूप में कार्यरत) सामान्य श्रेणी में अपने समान रूप से स्थित प्रतिपक्षियों के साथ समानता की मांग करते हुए उप-निरीक्षक (प्लाटून कमांडर के बजाय) के पद पर नियुक्ति चाहती है, जिन्हें एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3705/2009 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.09.2011 के आधार पर नियुक्ति दी गई है।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण ने उप-निरीक्षक (ए.पी.) के लिए 151 पद, प्लाटून कमांडर (उप-निरीक्षक आर.ए.सी.) के लिए 87 पद, और उप-निरीक्षक (एम.बी.सी.) के लिए 6 पदों का विज्ञापन निकाला था। इनमें से उप-निरीक्षक (ए.पी.) संवर्ग में 22 पद, प्लाटून कमांडर (उप-निरीक्षक आर.ए.सी.) संवर्ग में 13 पद, और उप-निरीक्षक (एम.बी.सी.) संवर्ग में 1 पद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। इस विज्ञापन के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने इस पद के लिए आवेदन किया और परीक्षा दी। अंतिम परिणाम में स्केलिंग प्रक्रिया के कारण उसके कुल प्राप्तांक 5 अंक कम हो गए थे।

2.1. हालाँकि, एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3705/2009 (रामनारायण भंवरिया बनाम राजस्थान राज्य) में दिनांक 20.09.2011 के निर्णय द्वारा इस न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा अपनाए गए स्केलिंग फॉर्मूले को अनुचित पाते हुए रद्द कर दिया। तत्पश्चात, प्रतिवादीगण ने 13.07.2012 को याचिकाकर्ता को एक पत्र जारी कर उसे चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया। उसने अभिवचित किया कि चयन प्रक्रिया के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार

करने के बावजूद, प्रतिवादीगण ने अभी तक उसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं दिया है। इसलिए, यह याचिका।

3. प्रतिवादीगण ने अपने प्रत्युत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह रुख अपनाया कि सामान्य (महिला) के लिए अंतिम कट-ऑफ अंक 263 थे, जबकि याचिकाकर्ता के स्वयं के दावे के अनुसार, उसने केवल 235 अंक प्राप्त किए थे। उसकी अंकतालिका के अनुसार, याचिकाकर्ता ने हिंदी में 85 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन स्केल किए गए अंक 80 बताए गए थे, जिससे स्केलिंग के कारण उसके कुल योग स्कोर में 5 अंक कम हो गए।

3.1. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3705/2009 (राम नारायण भंवरिया बनाम राजस्थान राज्य) और चार अन्य समान रिट याचिकाओं को इस न्यायालय ने 20.09.2011 को स्वीकार कर लिया था। इस निर्णय के अनुपालन में आरपीएससी ने एक संशोधित योग्यता सूची जारी की और इस प्रक्रिया में याचिकाकर्ता को भी चिकित्सा परीक्षण के लिए उपस्थित होने हेतु बुलाया गया था। हालाँकि, पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि चिकित्सा परीक्षण और चरित्र सत्यापन के लिए बुलाए जाने और योग्य पाए जाने का अर्थ अनिवार्य रूप से नियुक्ति आदेश जारी करना नहीं होगा।

3.2. एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 6350/2012 में दिनांक 24.07.2012 का निर्णय एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3705/2009 में दिनांक 20.09.2011 के निर्णय में की गई टिप्पणियों पर आधारित है। प्रदान की गई राहत विशेष रूप से व्यक्ति विशेष के लिए थी, न कि सर्वसाधारण के लिए। इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. इसके जवाब में, याचिकाकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर में यह रुख अपनाया है कि याचिकाकर्ता का मूल मेरिट क्रमांक 666 (अनुक्रमांक 220214) था, लेकिन निर्णय के बाद, 21.02.2012 को जारी संशोधित सूची (अनुलग्नक-आर/आर/1) में उसकी मेरिट सुधर कर 580 हो गई। योग्यता सूची के क्रमांक 581, 582, 586, 593, 604, 616 और 624 पर स्थित अन्य उम्मीदवार, जो उससे नीचे थे, को नियुक्ति दी गई। 23.04.2012 (अनुलग्नक-आर/आर/2) को प्रतिवादीगण ने चिकित्सा परीक्षण के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता 27 वें स्थान पर थी। इस प्रकार, प्रतिवादीगण का यह दावा कि उनका याचिकाकर्ता को बुलाने का कोई इरादा नहीं था, भ्रामक है।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

6. संक्षेप में, याचिका में उठाए गए अन्य तर्कों और आधारों के अलावा, याचिकाकर्ता का मामला मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर टिका है:

(क) यह दावा कि प्रतिवादी संख्या 4, जिसने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए थे, को फिर भी सामान्य श्रेणी में नियुक्ति का लाभ दिया गया; और

(ख) कुछ अन्य अभ्यर्थी भी हैं, जैसा कि कार्यालय आदेश दिनांक 23.04.2012 (अनुलग्नक आरआर/3) में दर्शाया गया है, जिन्होंने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए थे, लेकिन फिर भी उन्हें सामान्य श्रेणी में नियुक्ति का लाभ दिया गया।

7. सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण, तर्क के दूसरे भाग को संबोधित करते हुए, यह स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र पर एक हलफनामा निष्पादित किया गया है, जिसमें

यह कथन किया गया है कि उप-निरीक्षक के पद के लिए सामान्य श्रेणी में कट-ऑफ अंक 263 थे, जबकि याचिकाकर्ता ने बहुत कम यानी 235 अंक प्राप्त किए।

8. इसके अतिरिक्त, यह स्पष्ट है कि यद्यपि याचिकाकर्ता ने मूल रूप से हिंदी में 85 अंक प्राप्त किए थे, तत्पश्चात, स्केलिंग प्रक्रिया के कारण, जो सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू की गई थी, उसके अंक 85 से घटाकर 80 कर दिए गए, जिससे जब हिंदी में उसके मूल अंकों के आधार पर अंतिम सूची तैयार की गई, तब वह योग्यता में प्रारंभिक स्तर से भी नीचे आ गई।

9. यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता के हिंदी में अंक कम करके मेरिट सूची में उसका स्थान ग़लती से नीचे कर दिया गया है, तो भी मेरा यह विचार है कि याचिकाकर्ता को उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि वह वर्तमान में प्लाटून कमांडर के पद पर कार्यरत है। उसके कुल योग में 5 अंक जोड़ने से उसके कुल अंक 235 के बजाय केवल 240 ही होंगे, जो अभी भी 263 के मानक से काफ़ी कम है।

10. प्रथम बिंदु पर लौटते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रथम दृष्टया ही ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने 23.04.2012 के कार्यालय आदेश के आधार पर रिट याचिका दायर की है, जिसका वास्तव में कभी क्रियान्वयन ही नहीं हुआ। तत्पश्चात, दिनांक 03.07.2012 के एक कार्यालय आदेश द्वारा उक्त आदेश के क्रियान्वयन और प्रभाव पर रोक लगा दी गई।

11. बाद के आदेश दिनांक 03.07.2012 न तो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और न ही याचिकाकर्ता इससे व्यथित प्रतीत होती है, क्योंकि किसी भी संपार्श्विक कार्यवाही या वर्तमान कार्यवाही में इसे चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

12. इसके अतिरिक्त, न्यायालय के एक प्रश्न पर यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 4 वास्तव में ओबीसी श्रेणी में नियुक्त की गई थी। यह तथ्य उसके नियुक्ति पत्र दिनांक 19.08.2011 से भी प्रमाणित होती है, जिसकी एक प्रति सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई थी और उसे अभिलेख पर लिया गया है।

13. न्यायालय के एक प्रश्न पर प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें न्यायालय में यह बताने का निर्देश प्राप्त है कि यह एकमात्र नियुक्ति पत्र है जिसके अनुसरण में प्रतिवादी संख्या 4 को सेवा में नियुक्त किया गया था, और 23.04.2012 के आदेश पर आश्रय करना पूरी तरह से अनुचित है।

14. इसलिए, याचिकाकर्ता स्पष्ट रूप से इस धारणा में थी कि प्रतिवादी संख्या 4 को याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता अपनी उच्च योग्यता के आधार पर समान व्यवहार के अधिकार का गलत दावा कर रही है। उसे अपनी ही श्रेणी में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। चूँकि विचाराधीन मामला पूर्णतः विपरीत है, इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

15. अंत में, मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामे में दिनांक 23.04.2012 की 30 उम्मीदवारों की सूची (याचिका के पृष्ठ 104 पर अनुलग्नक 12) पर आश्रय किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम भी सम्मिलित था। इस सूची में से

तीन उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया और बताया गया है कि उन्होंने याचिकाकर्ता से कम अंक प्राप्त किए हैं, अतः याचिकाकर्ता ने शत्रुतापूर्ण भेदभाव का आरोप लगाया है।

16. यह ज्ञात होता है कि उपरोक्त नियुक्तियां एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 3705/2009 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में की गई थीं, और इन्हें व्यक्ति विशेष हेतु माना जाना चाहिए न कि सर्वसाधारण हेतु, जैसा कि प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उचित रूप से इंगित किया गया है।

17. एक बार फिर, याचिकाकर्ता के प्रदर्शन पर लौटते हुए, उसके प्राप्त द्वारा अंक 235 हैं, और यदि **<u>रमन नारायण भंवरिया बनाम राज्य एवं अन्य: एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या</u>** ***<u>3705/2009</u>*** में दिनांक 20.09.2011 को दिए गए निर्णय का लाभ याचिकाकर्ता को भी दिया जाए, जिसके अनुसरण में तीन उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी, तब भी याचिकाकर्ता को चयनित उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी। अधिकतम स्थिति में, याचिकाकर्ता 5 अतिरिक्त अंकों की हकदार होगी यदि उसके मामले में अंकों की स्केलिंग को रद्द कर दिया जाता है। इससे उसका कुल योग 240 अंक हो जाएगा। हालाँकि, वह फिर भी मेरिट सूची में अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएगी।

18. परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

19. खारिज।

20. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते है।

(अरुण मोंगा**),** जे

157-सुमित/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate